

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.4()परावि/जिआ/डी.पी.सी./2009-10/ 363

जयपुर, दिनांक: 22-6-10


:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1990 का नियम 350) के अनुसरण में जिला कोटा के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1	श्री विद्याशंकर नन्दवाना	अध्यक्ष	-
2	श्री सीताराम	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
3	श्री मन्नालाल	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
4	श्री ओमप्रकाश नागर	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
5	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
6	श्री नईमुद्दीन (गुड्डू)	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
7	श्री भानू प्रताप सिंह	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
8	श्रीमती मधु कंवर हाडा	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
9	श्रीमती मधु जैन	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
10	श्री महावीर मीणा	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
11	श्री पवन मीणा	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
12	श्री चतुर्भुज सैन	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
13	श्री मोहम्मद इमरान	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
14	श्रीमती राममूर्ति वर्मा	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
15	श्रीमती रानी व्यास	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
16	श्री मोहम्मद शाहिद	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
17	श्री हरि सिंह चौहान	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
18	श्री असगर हुसैन	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
19	श्री दीनदयाल सोनी	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)


जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् स्थायी सदस्य है। दो सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किये जाने एवं 2 शहरी क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन के उपरान्त संशोधित आदेश जारी किये जावेंगे। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद्/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं।


प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलेक्टर, जिला कोटा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् कोटा।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् कोटा।
7. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला कोटा को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।


सांख्यिकी अधिकारी (जिला आयोजना)